



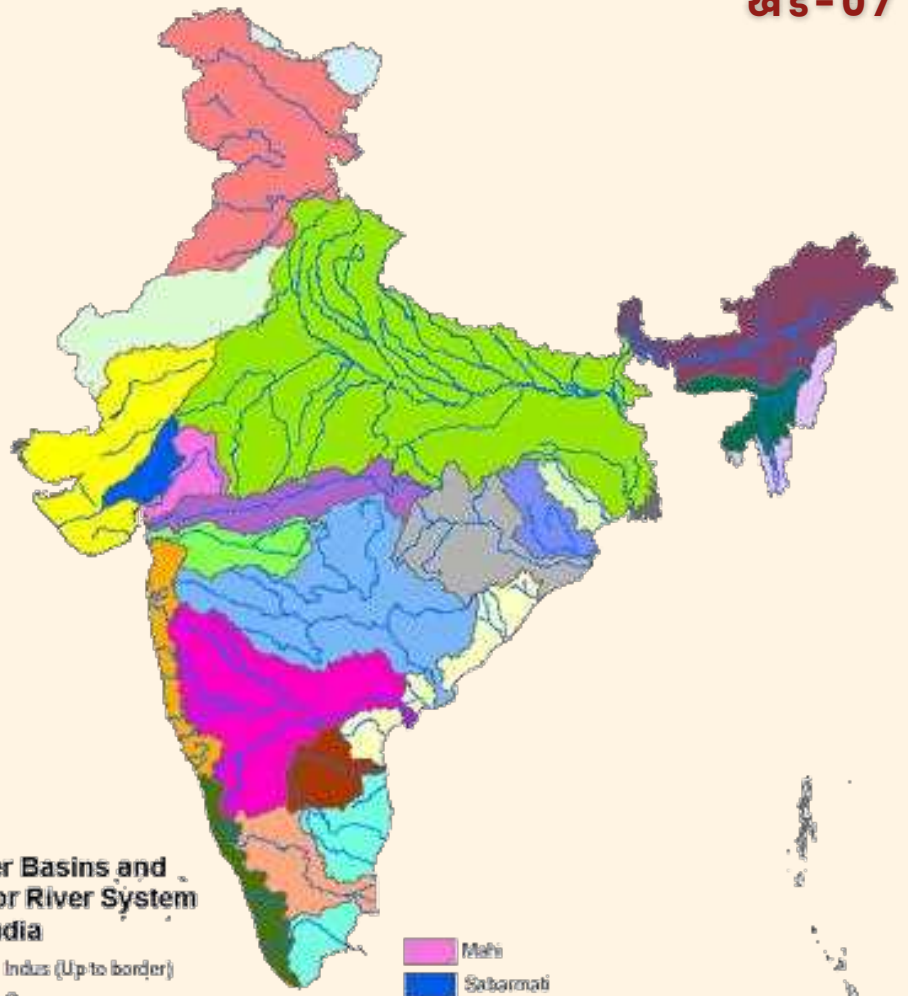
जून 2025

खंड-07

जलसंधि

केंद्रीय जल आयोग का मासिक - सूचना पत्र

अंक.11



River Basins and Major River System of India

- Indus (Up to border)
- Ganga
- Brahmaputra
- Barak and Others
- Godavari
- Krishna
- Cauvery
- Subarnarekha
- Brahmani and Baitarni
- Mahanadi
- Pennar

- Mah
- Sabarmati
- Narmada
- Tapi
- WFR_Tapi to Tadi
- WFR_Tadi to Kanyakumari
- EFR_Mahanadi and Pennar
- EFR_Pennar and Kanyakumari
- WFR_Kutch & Saurashtra including Luni
- Inland drainage in Rajasthan
- Minor Rivers draining to Myanmar (Burma) & Bangladesh



विषय-सूची

पृष्ठ 1

परियोजनाओं के संबंध में बैठक:

- पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, पश्चिमी गंडक नहर परियोजना और अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाएँ
- विभिन्न प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं की मूल्यांकन स्थिति
- कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना

पृष्ठ 2

परियोजनाओं के संबंध में बैठक:

- उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुनर्गठित अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन:

- सीपीएमयू, डीआरआईपी द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन

पृष्ठ 3

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन:

- एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पृष्ठ 4

स्थलों/परियोजनाओं का दौरा:

- कोलडैम जल विद्युत स्टेशन, हिमाचल प्रदेश
- यूजेवीएनएल के डीआरआईपी-II और III के तहत जोशियारा और मनेरी बांध

पृष्ठ 5

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021/ एनडीएसए:

- डीआरआईपी चरण II और चरण III के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श के संबंध में समीक्षा समिति की नौवीं (9वीं) बैठक
- डी आरआईपी में डी एंड आर विंग के संगठनों का समर्थन

पृष्ठ 6

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:

- देश में बाढ़ की स्थिति - मई 2025
- एनटीएफआईडब्ल्यूआरडीएम के तहत गठित “जल शासन समूह” की पहली बैठक

पृष्ठ 7

जलाशय निगरानी

पृष्ठ 8

विश्व पर्यावरण दिवस 2025

पृष्ठ 9

दीर्घा

अध्यक्ष का संदेश



श्री अतुल जैन
अध्यक्ष, कें.ज. आ.

जलांश के जून 2025 के संस्करण में भारत के जल संसाधनों के एकीकृत और टिकाऊ प्रबंधन के प्रति केंद्रीय जल आयोग की अटूट प्रतिबद्धता का चित्रण किया गया है। पिछले महीने में विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो जल क्षेत्र में नवाचार, सहयोग और क्षमता निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

परियोजना नियोजन और अंतर-संस्थागत समन्वय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कोसी-मेची अंतर-राज्यीय संपर्क परियोजना और पश्चिमी कोसी एवं गंडक नहर परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उच्च-स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना हेतु सशक्त समिति की दूसरी बैठक में महत्वपूर्ण शेष कार्यों के लिए हमारे केंद्रित निगरानी प्रयासों पर जोर दिया गया। इसके अलावा, वृहत और मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा ने मूल्यांकन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के हमारे संकल्प पर जोर दिया, साथ ही अंतर-राज्यीय सहयोग और तकनीकी अनुपालन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया।

बांध सुरक्षा में हमारी सक्रिय भागीदारी डीआरआईपी-II और III के तहत आयोजित प्रभावशाली प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जारी रही, जिसमें बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और तलछट प्रबंधन पर केंद्रित कार्यशालाएं शामिल थीं। कोलडैम, जोशियारा और मनेरी बांधों जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के दौरे से क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन और चुनौतियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली, जिससे हमारा परामर्शात्मक समर्थन समृद्ध हुआ।

डीआरआईपी समीक्षा समिति की नौवीं बैठक और उसके बाद डी एंड आर विंग संगठनों के साथ हुई चर्चाएं तकनीकी तैयारी को बढ़ाने में सहायक रहीं, जिसमें संरचित परामर्श, आईटी अवसंरचना और युवा पेशेवर सहभागिता पर स्पष्ट जोर दिया गया।

मानसून की शुरुआत के साथ ही हमारी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियाँ पूरी तरह सक्रिय हो गईं। सीडब्ल्यूसी ने अकेले मई में 91% से ज़्यादा सटीकता के साथ 70 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए—जो वास्तविक समय में जल विज्ञान सेवाओं में हमारी विकसित होती क्षमताओं का प्रमाण है। संवेदनशील राज्यों में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बाढ़ परामर्श और समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त, जल प्रशासन, अंतर-राज्यीय जल मुद्दों और जलाशय निगरानी पर आयोग का निरंतर कार्य राष्ट्रीय जल सुरक्षा के लिए केंद्रीय बना हुआ है। राष्ट्रीय कार्यबल के अंतर्गत आयोजित "जल प्रशासन समूह" की पहली बैठक संस्थागत सुधार और हितधारक सहयोग के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण का संकेत देती है।

आइए, हम उसी टीमवर्क और तकनीकी उत्कृष्टता की भावना के साथ आगे बढ़ें जो केंद्रीय जल आयोग की पहचान है। मैं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके दृढ़ समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूँ और आने वाले महीनों में निरंतर नवाचार और परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, पश्चिमी गंडक नहर परियोजना और अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाएँ

1. बिहार में पश्चिमी गंडक नहर परियोजना: यह निर्णय लिया गया कि पीएओ, आईएमओ के अधिकारी मूल परियोजना, 2012 में स्वीकृत ईआरएम परियोजना और वर्तमान प्रस्ताव का विवरण प्राप्त करने के लिए परियोजना स्थल का निरीक्षण करेंगे।

2. पश्चिमी कोसी नहर परियोजना: आईएमओ, सीडब्ल्यूसी को नहर की वहन क्षमता को बनाए रखने के लिए अधिकतम जल आवश्यकता का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को बदलने में परियोजना अधिकारियों को सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया गया है।

विभिन्न वृहत एवं मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं की मूल्यांकन स्थिति

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) की अध्यक्षता में 15 मई 2025 को सेवा भवन, नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकन के तहत विभिन्न प्रमुख, मध्यम सिंचाई, बहुउद्देशीय और जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति का आकलन किया गया।

प्रमुख विकासों में पर-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना शामिल थी, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच अनसुलझे अंतर-राज्यीय मुद्दों के कारण रुकी हुई है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के बाद तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना को फिर से गति मिली है, और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आँकड़े उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

तेलंगाना की सम्मक्का सागर परियोजना हाल ही में अनुपालन प्रस्तुतियों के आधार पर समीक्षाधीन है।

मध्य प्रदेश की बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना को विभिन्न तकनीकी मोर्चों पर राज्य से इनपुट का इंतजार है।

बिहार के कई परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा की गई: बागमती नदी बैराज और महानंदा बैराज परियोजनाएँ अनुपालन और अंतर-राज्यीय मंजूरी के लिए लंबित हैं।

सारण जिला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना ने

प्रगति दर्शाई है तथा अद्यतन नियोजन डेटा का मूल्यांकन किया जा रहा है।

पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना में सिंचाई मापदंडों की पुनर्गणना की गई है, तथा लागत और बीसी अनुपात को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बीडब्ल्यूएसआईएमपी के अंतर्गत सोन नहर प्रणाली (बिहार) के आधुनिकीकरण की समीक्षा की जा रही है, जिसमें अंतर-राज्यीय जल उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है।

कर्नाटक में, सोंथी लिफ्ट सिंचाई योजना, मालप्रभा नहर प्रणाली, तुंगभद्रा नहर और घाटप्रभा नहर सहित परियोजनाओं के लिए डीपीआर की पुनः प्रस्तुति का इंतजार है। इंडी शाखा नहर परियोजना ने प्रारंभिक अनुपालन को मंजूरी दे दी है और स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा के करीब है।

प्रस्तावों की संभावित वापसीन में देरी के कारण, सतलुज नदी और कोटला/घग्गर शाखाओं से पंजाब की नहरें स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं।

उल्लेखनीय है कि साबरमती से जवाई बांध (राजस्थान) तक अधिशेष जल के मोड़ का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा अंतर-राज्यीय जल संतुलन अध्ययन चल रहा है।

एटालिन, अटुनली, नयिंग और सुबनसिरी अपर (अरुणाचल प्रदेश), संकोश (भूटान) और दुलहस्ती-II (जम्मू-कश्मीर) सहित सात जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) की स्थिति की भी समीक्षा की गई। ये परियोजनाएँ लागत मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं और प्रमुख तकनीकी मंजूरियाँ लंबित हैं।

बैठक का समापन सभी प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन टीमों द्वारा क्षेत्रीय दौरे के निर्देश के साथ हुआ, जिसका उद्देश्य मूल्यांकन और निर्णय लेने में तेजी लाना था।

कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना

जल संसाधन विभाग, बिहार, केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की एक बैठक 14/05/2025 को श्री भोपाल सिंह, सदस्य (विकास एवं पुनर्वास), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में सेवा भवन, तृतीय तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में जल संसाधन विभाग, बिहार, केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के अधिकारियों ने भाग लिया।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुनर्गठित सशक्त समिति की दूसरी बैठक

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 23.05.2025 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में सशक्त समिति की दूसरी (2) बैठक आयोजित की गई।

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता वाली सशक्त समिति और केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार के सदस्य (जल संरक्षण एवं गंगा संरक्षण) की अध्यक्षता वाली तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की जा रही है।

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

सीपीएमयू, डीआरआईपी द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन

जलाशय में तलछट आकलन और प्रबंधन



सीपीएमयू ड्रिप सीडब्ल्यूसी ने मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के सहयोग से 28-29 मई 2025 के दौरान भोपाल, मध्य प्रदेश में "जलाशय में तलछट मूल्यांकन और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुरूप, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रतिभागियों को बांध संचालन और रखरखाव को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था, जिसमें बांध मूल्यांकन, सुरक्षा उपाय, जांच, परिणाम मूल्यांकन, डाउनस्ट्रीम परिवर्तनों की निगरानी, विनियमित बांध, निगरानी और बांध के आसपास बांध डिज़ाइन सार्वजनिक सुरक्षा में बांध सुरक्षा इनपुट शामिल हैं। यह प्रशिक्षण, डीआरआईपी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में जलाशय से संबंधित सभी तलछट मूल्यांकन और प्रबंधन में एसपीएमयू की सहायता के लिए तैयार किया गया था।

बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 अवलोकन: बांधों के आसपास सार्वजनिक सुरक्षा

सीपीएमयू ड्रिप ने उत्तराखंड (यूजेवीएनएल) के सहयोग से "बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 अवलोकन": "बांधों के आसपास जन सुरक्षा" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 07-08 मई 2025 को उज्ज्वल प्रशिक्षण हॉल,

यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया। श्री राकेश कश्यप, मुख्य अभियंता (डीएसओ) एवं परियोजना निदेशक, डीआरआईपी, श्री राकेश कुमार गौतम, निदेशक (डीएसआर/सीपीएमयू) के साथ प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुरूप, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को बांध संचालन और रखरखाव को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें बांध मूल्यांकन, सुरक्षा उपाय, जांच, परिणाम मूल्यांकन, डाउनस्ट्रीम परिवर्तनों की निगरानी, विनियमित बांध, निगरानी और बांध के आसपास बांध डिज़ाइन सार्वजनिक सुरक्षा में बांध सुरक्षा इनपुट शामिल हैं। यह प्रशिक्षण एसपीएमयू को बांध सुरक्षा अधिनियम और बांधों के आसपास सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में डीआरआईपी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में मदद करने के लिए तैयार किया गया था।



प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

क्रम सं	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	तिथि	प्रतिभागियों की संख्या	उद्देश्य
1	बाढ़ प्रबंधन	01 सप्ताह	20-24 मई 2025	21	व्यावहारिक अनुभव के साथ संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग करके बाढ़ की गतिशीलता और प्रबंधन रणनीतियों की समझ को बढ़ाना।
2	बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग (DHARMA)	0.2 सप्ताह	21-22 मई 2025	23	संरचित बांध डेटा प्रबंधन और अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए DHARMA सॉफ्टवेयर के उपयोग में बांध सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
3	जल कानून और नदी घाटी विवाद	01 सप्ताह	26-30 मई 2025	41	भारत के जल कानूनों, विवाद समाधान तंत्रों और सीमापार जल प्रशासन ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करना।
4	जलाशय प्रणालियों का परिचालन विश्लेषण	0.8 सप्ताह	27-30 मई 2025	32	इष्टतम जल संसाधन उपयोग और मानसून परिवर्तनशीलता प्रबंधन के लिए एनआईएचआईएसवाईपी जैसे उपकरणों का उपयोग करके जलाशय संचालन और योजना को मजबूत करना।



कोलडैम जल विद्युत स्टेशन, हिमाचल प्रदेश



एनटीपीसी ने सीडब्ल्यूसी को फ्लिप बकेट और शूट के बीच जोड़ को चौड़ा करने और बाँध यंत्रीकरण डेटा विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित मुद्दों पर परामर्श सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा है। मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों की एक टीम ने एनटीपीसी के अधिकारियों की एक टीम के साथ 5 मई, 2025 को कोलडैम का दौरा किया।

इस दौरे के दौरान, प्लंज पूल क्षेत्र और संयंत्र के विभिन्न घटकों का व्यापक दौरा किया गया। टीम ने एनटीपीसी द्वारा उजागर किए गए स्पिलवे सिस्टम के साथ दो प्रमुख मुद्दों, अर्थात् फ्लिप बकेट-शूट के बीच जोड़ की गति और प्लंज पूल क्षेत्र में कंक्रीट क्लैडिंग और कटाव को समझने के लिए फ्लिप बकेट और प्लंज पूल क्षेत्र का निरीक्षण किया।

इसके अलावा, कोलडैम परियोजना प्रमुख के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एनटीपीसी के

अधिकारियों ने प्लंज पूल सुदृढ़ीकरण उपायों की स्थिति और मुद्दे तथा बांध/स्पिलवे बॉडी में स्थापित भू-तकनीकी उपकरणों के अवलोकन पर प्रस्तुतियाँ दीं। कार्यान्वित किए जा रहे मुद्दों और सुदृढ़ीकरण उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

यूजेवीएनएल के डीआरआईपी-II और III के तहत जोशियारा और मनेरी बांध



श्री राकेश कश्यप परियोजना निदेशक डीआरआईपी और सीई डीएसओ, श्री राकेश कुमार गौतम, निदेशक डीएसआर, श्री सिद्धांत आजाद उप निदेशक सीडब्ल्यूसी ने इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श (ईएमसी) के अधिकारियों के साथ 5 मई 2025 से 6 मई 2025 तक जोशियारा और मनेरी भाली-I बांधों का दौरा किया ताकि चल रहे पुनर्वास कार्यों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जा सके और डीआरआईपी चरण- II और III के तहत साइट-विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

महाराष्ट्र राज्य में वैतरणा परियोजना भारत में मशीनीकृत कंक्रीटिंग शुरू करने वाली पहली परियोजना है।

Source: Bhagirath 1961



बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021/एनडीएसए

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण II और चरण III के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श के संबंध में समीक्षा समिति की नौवीं (9वीं) बैठक

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण II और चरण III के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श के संबंध में सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति की नौवीं (9वीं) बैठक 19 मई, 2025 को दोपहर 2.30 बजे सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी के कार्यालय में आयोजित की गई। यह बैठक सलाहकार द्वारा प्रस्तुत बायोडाटा की जांच करने तथा अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी के अनुमोदन के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करने के लिए आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अभियंता डीएसओ, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), मुख्य अभियंता, डिजाइन (ई एंड एनई), निदेशक डीएसआर और निदेशक एफई एंड एसए ने भाग लिया।



बांध पुनर्वास सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी) में डी एंड आर विंग के संगठनों का समर्थन

बांध पुनर्वास सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी) से संबंधित मामलों में डी एंड आर विंग के संगठनों के समर्थन पर चर्चा करने के लिए डी एंड आर के सदस्य की अध्यक्षता में 15.05.2025 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

एजेंडे में तकनीकी सहायता की आवश्यकता वाली कई गतिविधियां और कुछ प्रमुख परियोजनाएं शामिल थीं, जैसे कि हीराकुंड परियोजना के अतिरिक्त स्पिलवे का निर्माण, मिंटडू लेशका, खोपुम में हाइड्रो-मैकेनिकल (एचएम) मुद्दे और अन्य बांध पुनर्वास कार्य। चर्चा में डीआरआईपी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, सहायता के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- डीआरआईपी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए डी एंड आर (सी) निदेशालय द्वारा सदस्य, डी एंड आर के अनुमोदन से डिजाइन मुद्दों के लिए डी एंड आर विंग के अधिकारियों का एक कोर समूह गठित किया जाएगा।
- निदेशालय वृद्धिशील परामर्श शुल्क (नियमित कर्मचारियों के वेतन को छोड़कर) के आधार पर परामर्श कार्य संभालेंगे। सीपीएमयू डीआरआईपी के माध्यम से आईटी अवसंरचना समर्थन ईएफसी प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। फ़ाइल संख्या T-980120/7/2021-DRCoord.I/205693/202545 के अनुसार, समझौता ज्ञापनों में परामर्श शुल्क और युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए खंड शामिल होने चाहिए।
- डी एंड आर (सी) निदेशालय आईटी अवसंरचना आवश्यकताओं को अंतिम रूप देगा और उन्हें सीपीएमयू डीआरआईपी II और III को सूचित करेगा।
- सीपीएमयू दिशानिर्देशों/मैनुअलों के लिए प्रारूपण और समीक्षा समितियों के गठन का प्रस्ताव करेगा, जिसमें डी एंड आर के सदस्य संगठनात्मक प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेंगे।

डीआरआईपी II और III की समयबद्ध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, डी एंड आर विंग के अंतर्गत संगठनों के प्रमुखों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने संगठनों से संबंधित डीआरआईपी संबंधी मुद्दों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।



रुकरा सिंचाई परियोजना की अपस्ट्रीम

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

I. बाढ़ से सम्बंधित मामले

देश में बाढ़ की स्थिति – मई 2025

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम बेसिनों में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 1 मई 2025 से शुरू हुई। 1 मई से 31 मई 2025 की अवधि के दौरान, कुल 70 (44 स्तर + 26 अंतर्वाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, जिनमें से 64 (40 स्तर + 24 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 91.42% सटीकता के साथ स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। कोई लाल बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी नहीं किया गया। मई 2025 के महीने के दौरान केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 10 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए दो दबावों ने मई 2025 के अंतिम सप्ताह के दौरान कोंकण तट और पश्चिम बंगाल क्षेत्र के आसपास भूस्खलन किया। केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय और कर्नाटक के लिए 24 मई और 29 मई 2025 को 2 विशेष बाढ़ परामर्श जारी किए गए।

01 मई से 31 मई 2025 तक बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति:

किसी भी एफएफ स्टेशन पर जल स्तर एचएफएल को पार नहीं कर पाया तथा चरम बाढ़ की स्थिति तक नहीं पहुंचा।

किसी भी निगरानी स्टेशन पर जल स्तर एचएफएल को पार नहीं कर पाया तथा चरम बाढ़ की स्थिति तक नहीं पहुंचा।

गंभीर बाढ़ की स्थिति:

असम और पश्चिम बंगाल में 6 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में गंभीर बाढ़ की स्थिति तक जल स्तर देखा गया।

II. अन्य गतिविधियाँ

एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यबल के अंतर्गत गठित "जल शासन समूह" की पहली बैठक

एनटीएफआईडब्ल्यूआरडीएम के अंतर्गत गठित जल प्रबंधन समूह (डब्ल्यूजीजी) की पहली बैठक 26.05.2025 को सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली में श्री योगेश पैठणकर, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आईएमओ के मुख्य अभियंता इस समूह के सदस्य सचिव हैं। डब्ल्यूजीजीआई का उद्देश्य समावेशी, टिकाऊ और कुशल

असम, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में 5 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति तक जल स्तर पाया गया।

सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति:

असम, पश्चिम बंगाल और केरल के 11 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में जल स्तर सामान्य से ऊपर देखा गया।

सीमा से ऊपर अंतर्वाह वाले जलाशय:

तमिलनाडु और कर्नाटक में 6 जलाशयों में जलस्तर सीमा से अधिक पाया गया।

मई 2025 के दौरान भारत में बाढ़ की स्थिति



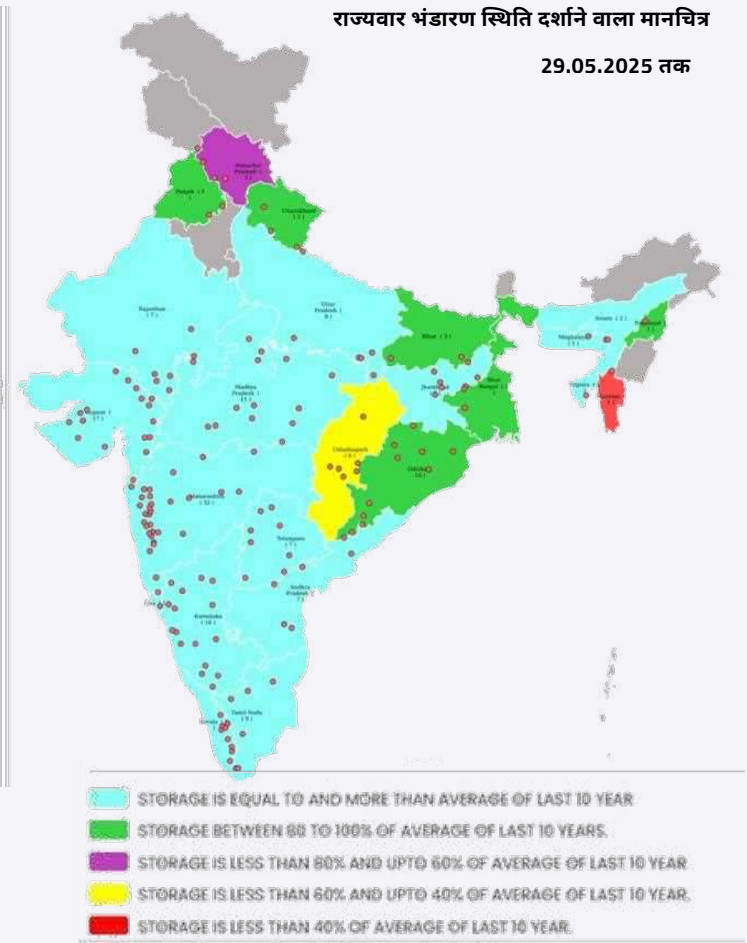
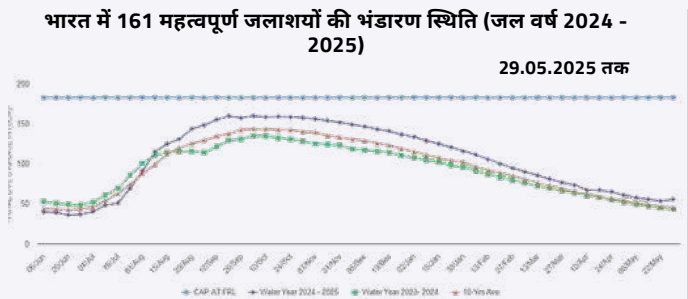
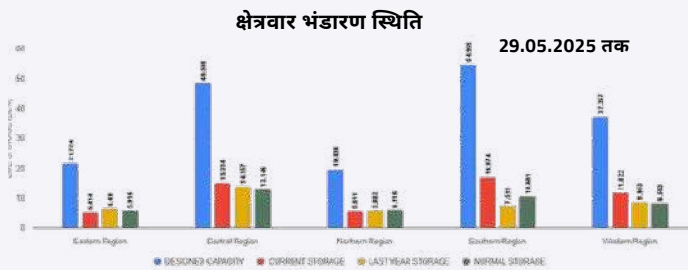
जल प्रबंधन के लिए कानूनी, नीतिगत और संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना है। समूह के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे, जैसे भारत में जल नीति और कानूनी परिदृश्य को मजबूत करने की दिशा में सुधार; जल-संबंधी कानूनों को लागू करने में चुनौतियां; शहरी क्षेत्र में पेयजल की मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन; संवैधानिक प्रावधानों का अधिनियमों से संबंध; जल प्रशासन में प्रमुख चुनौतियां; सार्वजनिक-निजी भागीदारी; आदि। विस्तृत चर्चा के बाद, समूह के लिए निर्धारित प्रमुख गतिविधियों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उनकी विशेषज्ञता के आधार पर समूह के सदस्यों के बीच वितरित किया गया।

जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग देश के 161 जलाशयों की भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय जलविद्युत परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। 161 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 182.444 बीसीएम है, जो देश में अनुमानित 257.812 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता का लगभग 70.77% है।

दिनांक 29.05.2025 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण क्षमता

55.334 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 30.33% है। तथापि, पिछले वर्ष इसी अवधि में इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रहण क्षमता 43.001 बीसीएम थी तथा पिछले 10 वर्षों की औसत सक्रिय संग्रहण क्षमता 44.363 बीसीएम थी। इस प्रकार, 29.05.2025 बुलेटिन के अनुसार 161 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय संग्रहण का 128.68% तथा पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 124.73% है।



विश्व पर्यावरण दिवस 2025

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ-साथ देश भर में फैले अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में बड़े उत्साह के साथ मनाया।

समारोह की शुरुआत पर्यावरण शपथ समारोह के साथ हुई, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यालय में, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वयं पौधे लगाए। इसके साथ ही, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इसी तरह के वृक्षारोपण अभियान चलाए गए, जो एक हरित और स्वस्थ ग्रह की दिशा में एक सामूहिक प्रयास का प्रदर्शन था।

इस कार्यक्रम ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सीडब्ल्यूसी की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया और भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा और पोषण करने के हमारे कर्तव्य की सार्थक याद दिलाई।





श्री जी. नागा मोहन, सीई, एम एंड ईआरओ, सीडब्ल्यूसी, भुवनेश्वर की अध्यक्षता में 16.05.2025 को आगामी मानसून 2025 के लिए बाढ़ की तैयारियों पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओडिशा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार के प्रतिनिधियों और सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने भाग लिया।



श्री द. सो. चासकर, मुख्य अभियंता, प्रबोधन मध्य संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, नागपुर की अध्यक्षता में आईएमडी हैदराबाद, जल संसाधन विभाग/सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार, आरएमसी नागपुर और विभिन्न बांध प्राधिकरण के साथ दिनांक 29-05-2025 को बाढ़ संकट प्रबंधन टीम की पहली बैठक।



दिनांक 29.05.2025 को माननीय श्री उज्ज्वल रमण सिंह की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने शिलांग में मुख्य अभियंता कार्यालय, बराक एवं अन्य बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग के साथ निरीक्षण बैठक की और कार्यालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी एवं कार्यालय में हो रहे राजभाषा हिंदी के कार्यों का अवलोकन कर इसकी प्रशंसा एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री भूपिंदर सिंह, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अजय कुमार II, निदेशक (आरएम-सी) - सदस्य
- श्री मनोज कुमार, निदेशक (टीसी) - सदस्य
- श्री किरण प्रमाणिक, निदेशक (डब्ल्यूपी&पी-सी) - सदस्य

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय,
केन्द्रीय जल आयोग

- श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री रवि रंजन, निदेशक (डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई
दिल्ली-110 066, ई-मेल: media-cwc@gov.in